प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 38/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 2 मई 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा पर एक परामर्श पत्र** जारी किया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 30.08.2022 के एक संदर्भ के माध्यम से प्राधिकरण से अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस और घरेलू एसएमएस की परिभाषा पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया।

2. एक दूरसंचार नेटवर्क पर ले जाने वाले 'लोड' को ट्रैफ़िक या विशेष रूप से 'दूरसंचार ट्रैफ़िक' कहा जाता है। दूरसंचार ट्रैफ़िक में कई प्रकार के ट्रैफ़िक शामिल होते हैं जैसे वॉयस कॉल, एसएमएस इत्यादि। इसके अलावा, दूरसंचार ट्रैफ़िक में घरेलू ट्रैफ़िक (अर्थात् देश के भीतर ट्रैफ़िक) और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में, घरेलू ट्रैफ़िक में इंट्रा-सर्कल ट्रैफ़िक और इंटर-सर्कल ट्रैफ़िक शामिल होते हैं जिन्हें एकीकृत लाइसेंस में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। चूंकि इंट्रा-सर्कल ट्रैफ़िक और इंटर-सर्कल ट्रैफ़िक घरेलू ट्रैफ़िक के केवल दो घटक हैं, अतः 'घरेलू ट्रैफ़िक' को एकीकृत लाइसेंस में अप्रत्यक्ष रूप से परिभाषित किया जा चुका है। प्राधिकरण ने ध्यान दिया कि 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक' शब्द को एकीकृत लाइसेंस में परिभाषित नहीं किया गया है और यह कि 'अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस' एक प्रकार का 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक' है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि एकीकृत लाइसेंस समझौते में अंतरराष्ट्रीय एसएमएस को परिभाषित करने के बजाय, 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक' शब्द को परिभाषित करना उचित होगा।

3. इस संबंध में, हितधारकों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां दिनांक 30.05.2023 तक और प्रति-टिप्पणियां दिनांक 13.06.2023 तक आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-
(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा